न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर (राजस्थान)

प्रकरण संख्या 9 प्रवेश दिनांक 25.5.21 निर्णय दिनांक 5.8.21

GICMS No
2021
12

उनवान

1.राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का ढिगावडा तहसील राजगढ (अलवर)

बनाम

1.श्री ओमबाबू , कैलाश, ब्रहामानन्द, राजू, शिम्भूदयाल पि0 लहरी जाति ब्रहाम्ण निवासी बाड ढिगावडा

2. कमलेश, रामावतार पि0दुर्गाप्रसाद जाति ब्रहाम्ण निवासी बाड ढिगावडा

3. गुलजारी ,नन्दलाल, मूलचन्द पि0 कन्हैयालाल जाति ब्रहाम्ण निवासी बाड ढिगावडा

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे वृतान्त निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का ढिगावडा द्वारा ग्राम बाड ढिगावडा के आराजी खसरा नम्बर 182/0.13 , .183/0.11,188/0.06,184/0.08 किस्म चाही खातेदारी कृषि भूमि मे गैर सायलान ओमबाबू , कैलाश, ब्रहामानन्द, राजू, शिम्भूदयाल पि0 लहरी, कमलेश, रामावतार पि0दुर्गाप्रसाद ,गुलजारी ,नन्दलाल, मूलचन्द पि0 कन्हैयालाल जाति ब्रहाम्ण निवासी ग्राम बाढ ढिगावडा द्वारा कुल 0.04 हैक्ट. मे व्यसायिक दुकान बनाकर व्यवसायिक प्रयोजन हेतु बिना रूपान्तिरण करवाये उपयोग किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा अन्तर्गत धारा 90 ए एल.आर.एक्ट के रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट दर्ज की जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया । गैरसायलान मे से गुलदारी पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्रहाम्ण उपस्थित आया। जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया। भूमि रूपान्तरण का कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया गया । शेष गैरसायलान अनुपस्थित रहे। गैरसायल गुलजारी के अलावा शेष गैरसायलान के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। रिपोर्ट

तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

03. यह है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073–2078 मे आराजी खसरा नम्बर 182/0.13 , 183/0.11,188/0.06,184/0.08 किस्म चाही वाके ग्राम बाड ढिगावडा तहसील–राजगढ अप्रार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जिसकी नवीनतम प्रमाणित प्रति संलग्न है।

04. यह है कि पटवारी हल्का ढिगावडा से दिनांक 25.05.2021 को इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि बिना सक्षम स्वीकृति के ग्राम बाड ढिगावड़ा के आराजी खसरा नम्बर 182/0.13 , 183/0.11,188/0.06,184/0.08 मे से 0.04 हैक्टेयर पर व्यवसायिक प्रयोजन दुकान बना कर अप्रार्थीगण द्वारा अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थीगण के द्वारा कृषि भूमि को अकृषि संपरिवर्तन का कोई सक्षम आदेश प्राप्त नही कर रखा है तथा मौके पर यह कृषि भूमि अब पुनः कृषि करने योग्य नही है। पटवारी हल्का रिपोर्ट संलग्न है।

05. यह है कि राज्य सरकार की ओर से खातेदारान को कृषि भूमि मे कृषि करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

06. यह है कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है । जिससे राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई है।

07. यह है कि इस प्रकार से राज्य सरकार की ओर से दिये गये अधिकारों के विपरीत अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग किया है तथा भविष्य मे यह भूमि पुनः कृषि योग्य नही रह पायेगी।

08. यह है कि अप्रार्थीगण के इस कृत्य की देखा–देखी मे अन्य खातेदारों द्वारा भी इसी प्रकार कृषि भूमि का स्वरूप खराब किया जा सकता है। जिससे भविष्य मे कृषि सम्बंधी उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा । जो भविष्य मे क्षेत्र के विकास मे बाधक होगी।

09. यह है कि प्रार्थना पत्र मे सुनवाई का अधिकार श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे आता है।

10. यह है कि प्रार्थना पत्र राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत होने से सभी प्रकार के शुल्क आदि से मुक्त है।

तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि मे दुकान बना कर अकृषि व्यवसायिक उपयोग कर राज्य सरकार की शर्तो को भंग किया गया है। इस लिए उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित किया जावे।

दिनांक :–

प्रार्थी

लैण्ड होल्डर तहसीलदार राजगढ जिला अलवर

तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)